

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III —खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पौष 12, 1936

No. 03]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSA 12, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

फा.सं. एल-विविध/VII/1/2007.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2011, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2011 के विनियम 23 के उप-नियम (2) में निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“(2) इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्यधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम फा. सं. एस-एडमिन/II/8/2010 दिनांक 29-03-2011 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2015

F. No. L-MISC/VI/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011, namely :—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 23 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely :—

“(2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”.

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* F. No. S-Admn./II/8/2010 dated 29-03-2011.